कार्यालय प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/स्था./नियुक्ति/2016/2634...... रायपुर, दिनांक 13/06/2016

"संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन"

आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि 05.07.2016

कार्यालय छत्तीसगढ़ राज्य आयुष सोसायटी, राष्ट्रीय आयुष मिशन संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़, रायपुर के पत्र क्रमांक/15/02/रा.आ.मि./2016/2122 दिनांक 16 मई 2016 के निर्देशानुसार शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, रायपुर छ.ग. में आयुष योगा वेलनेस सेंटर हेतु रिक्त पद पर संविदा भर्ती हेतु आवेदन पत्र दिनांक 05.07.2016 तक आमंत्रित किये जाते हैं। रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है :–

क्रमांक	पद का नाम	अनारक्षित	योग
1.	योग सहायक (मुक्त)	01	01

अर्हता एवं मानदेय :– 8000/– रूपये प्रतिमाह।

शैक्षणिक योग्यता :– शासन अथवा शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से आठवी उत्तीर्ण।

योग सहायक के मुख्य कार्य :–

1) प्रतिदिन योगाभ्यासियों हेतु योगामेट, दरी इत्यादि की बिछावन, साउंड सिस्टम लगाना एवं प्रशिक्षण उपरांत सुव्यवस्थित कर संधारित करना।
2) आयुष योगा वेलनेस सेंटर में स्वच्छता की पूर्ण जिम्मेदारी।
3) योग प्रशिक्षक की अनुपस्थिति में केन्द्र की व्यवस्था बनाये रखना।
4) समय–समय पर योग प्रशिक्षक एवं अधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना।

आयु–सीमा

01. आयु दिनांक 01 जनवरी 2016 को न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम छ.ग. शासन सामान्य प्रकाशन विभाग द्वारा जारी पत्र कमांक एफ–3–2/2002/1–3, दिनांक 27.09. 2013 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 22.12.2013 के अनुसार आगामी भरती जो कैलेण्डर वर्ष 2016 की समाप्ति के पूर्व की जावेगी, में केवल एक बार के लिए, छ.ग. के स्थानीय निवासियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 05 वर्ष की छूट प्रदान की गई है, के फलस्वरूप अधिकतम आयु 40 वर्ष की जाती है।

02. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिला/शासकीय उम्मीदवारों तथा अन्य वर्गो के उम्मीदवार जिन्हें उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता होगी, उन्हें नियानुसार आयु सीमा में छूट प्रदान की जावेगी, किन्तु इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

03. किसी भी उम्मीदवार को किसी भी आधार पर या एक से अधिक आधार पर छूट का लाभ दिये जाने के उपरांत भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

नियम व शर्ते

01. उम्मीदवार का चयन छ.ग. शासन द्वारा जारी निर्देशों व मार्गदर्शी सिद्धांतों तथा मापदण्डों के आधार पर चयन समिति के माध्यम से मेरिट के आधार पर होगा।

02. नियुक्त कर्मचारी की सेवाएं संविदा नियम 2012 के तहत शासित होगी।

03. मासिक समेकित एक मुश्त संविदा वेतन देय होगा।

04. संविदा नियुक्ति 01 वर्ष के लिए की जावेगी। भारत सरकार की स्वीकृति अनुरूप तथा विभाग की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए संविदा पर नियुक्ति की उपयुक्तता का आंकलन कर नवीनीकरण किया जा सकेगा।

05. जन्म तिथि के सत्यापन हेतु प्राथमिक/ माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति अवश्य संलग्न किया जावे।

06. वांछित प्रमाण पत्रों एवं अंकसूची की स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित छायाप्रति सहित उम्मीद्वार का आवेदन दिनांक 05.07.2016 को सायं 05:00 बजे तक पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालय प्राचार्य, शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जी.ई. रोड, रायपुर (छ.ग.) पिन कोड नं. 492010, में अनिवार्य रूप से प्राप्त होना चाहिए। आवेदन पत्र सीधे स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा डाक अथवा अन्य कारण वश विलंब से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

07. छ.ग. मूल निवासी प्रमाण पत्र की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।

08. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नहीं दी जाएगी तथा ऐसे आवेदन पत्र अमान्य कर दिये जावेंगे।

09. आवेदन निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करें अन्यथा आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।

10. शासकीय/ अर्द्धशासकीय अथवा किसी निजी संस्था में कार्यरत कर्मचारियों को अपने आवेदन के साथ नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

11. उम्मीदवार का स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित नवीनतम पासपोर्ट साईज का फोटोग्राफ निर्धारित स्थान पर चिपकाया जावे।

12. आवेदन के साथ संलग्न समस्त प्रमाण पत्रों की छायाप्रतियां स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित होना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदन अमान्य कर दिया जावेगा।

13. कोई भी उम्मीद्वार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

14. लिफाफे के उपर जिस पद के लिए आवेदन किया जा रहा है उस पद का नाम तथा विज्ञप्ति का कमांक एवं दिनांक अनिवार्यतः लिखा जावे।

15. इस विज्ञापन के जारी होने के पूर्व प्रस्तुत आवेदन मान्य नहीं किये जावेगे।

16. नियुक्ति हेतु सिफारिश करने वाले, किसी भी प्रकार दबाव डलवाने वाले आवेदक का आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा।

प्राचार्य,
शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय,
रायपुर (छ.ग.)